

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/823/2002/जयपुर सरकार बनाम सुमेरसिंह</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p style="text-align: center;">एकल पीठ श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य</p> <p>उपस्थित- श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, उपराजकीय अभिभाषक सरकार श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, विपक्षी</p> <p style="text-align: center;">निर्णय</p> <p style="text-align: right;">दिनांक:- 01-12-2020</p> <p>यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) जयपुर ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपटित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 19-01-2002 से राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर जयपुर ने पत्र दिनांक 20-06-1986 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेफरेंस प्रार्थना पेश कर अंकन किया कि उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत भूमि खसरा संख्या 1536 रकबा 41 बीघा 14 बिस्वा जरिये नामान्तरकरण संख्या 364 दिनांक 11-01-1970 के द्वारा सुमेरसिंह, शेरसिंह, महेन्द्र प्रताप सिंह, रघुनाथसिंह, मानदातासिंह, दशरथसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत चित्तौडा से सुमेरसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत चित्तौडा के नाम परिवर्तन बाहमी रजामंदी से सरपंच ग्राम पयाचत चित्तौडा द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त मामले का विधि की दृष्टि में परीक्षण करने पर स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत चित्तौडा को काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत बाहमी रजाबंदी का</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/823/2002/जयपुर सरकार बनाम सुमेरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार नहीं है, परन्तु धारा 15 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत 41 बीघा 14 बिस्वा बाहमी रजामंदी से तकासमा किया गया है। बाहमी रजामंदी का कारण अंकित करते हुए उक्त भूमि का हस्तान्तरण किया गया है, जिसका कोई पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार पंजीयन अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। सीलिंग नियमों से बचने के लिए उक्त हस्तान्तरण ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया जो उस गांव के रहने वाले निवासी नहीं है तथा न ही काश्त करते है, बल्कि अप्रार्थी ही भूमि का रखरखाव करते है। अप्रार्थी ने ऐसे कोई दस्तावेज शिकमी काश्तकार होने व खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील की नकल पेश नहीं की है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि सम्वत 2012-2015 तक उनका आराजी पर कब्जाकाश्त रहा हो। अन्य कोई दस्तावेज भी सम्वत 2012-2015 तक की अवधि का कब्जाकाश्त बाबत पेश नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रेफरेंस को स्वीकार करते हुए उक्त विधि विरुद्ध आलोच्य नामान्तरकरण को अपास्त किए जाने बाबत यह रेफरेंस मण्डल के समक्ष पेश किया है।</p> <p>हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की रेफरेंस के संबंध में बहस सुनी।</p> <p>विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत चित्तौडा को काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत बाहमी रजामंदी का नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार नहीं है, परन्तु धारा 15 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत 41 बीघा 14 बिस्वा बाहमी रजामंदी से तकासमा किया गया है। बाहमी रजामंदी का कारण अंकित करते हुए</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/823/2002/जयपुर सरकार बनाम सुमेरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>उक्त भूमि का हस्तान्तरण किया गया है, जिसका कोई पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार पंजीयन अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। सीलिंग नियमों से बचने के लिए उक्त हस्तान्तरण ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया जो उस गांव के रहने वाले निवासी नहीं है तथा न ही काशत करते है, बल्कि अप्रार्थी ही भूमि का रखरखाव करते है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रेफरेंस को स्वीकार करते हुए उक्त विधि विरुद्ध हस्तान्तरण को अवैध घोषित करते हुए स्वीकृत आलोच्य नामान्तरकरण को अपास्त किया जाए। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार कर प्रकरण में स्वीकृत आलोच्य नामान्तरकरण को निरस्त कर भूमि को पुनः राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने प्रश्नगत भूमि के संबंध में रेफरेंस की कार्यवाही का विरोध करते हुए आलोच्य कार्यवाही को निरस्त होने योग्य बताया है। उनका कहना है कि अधिग्रहण सीलिंग सिवायचक होने पर भूमि का स्वामित्व प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि पर आदिनांक तक काबिज काशत दर्ज चले आ रहे है। यहीं नहीं उनके द्वारा आराजी का नियमानुसार लगान अदा किया जा रहा है तथा भूमि पर वे आबाद भी रहे है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में रेफरेंस की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है। अन्त में उन्होंने रेफरेंस को निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।</p> <p>हमने योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।</p> <p>हमने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) जयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस पत्रावली का अवलोकन</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/823/2002/जयपुर सरकार बनाम सुमेरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>किया। जिसके अनुसार स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत चित्तौड़ा को काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत बाहमी रजाबंदी का नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार नहीं है, परन्तु धारा 15 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत 41 बीघा 14 बिस्वा भूमि का बाहमी रजामंदी से तकासमा किया गया है। बाहमी रजामंदी का कारण अंकित करते हुए उक्त भूमि का हस्तान्तरण किया गया है, जिसका कोई पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार पंजीयन अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। सीलिंग नियमों से बचने के लिए उक्त हस्तान्तरण ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया जो उस गांव के रहने वाले निवासी नहीं है तथा न ही काश्त करते है, बल्कि अप्रार्थी ही भूमि का रखरखाव करते है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 (5) के तहत सहायक जिला कलक्टर को ही ऐसे मामलों का निस्तारण करने की अधिकारिता प्राप्त है। सहायक जिला कलक्टर बाहमी रजामंदी से न्यायालय की डिक्री जारी होने पर नामान्तरकरण की तस्दीक की कार्यवाही सम्पादित कर सकते है।</p> <p>उपलब्ध रेकार्ड से यह परिलक्षित होता है कि खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील सम्मत 2012 से 2015 के अनुसार अप्रार्थीगण की काश्त का अंकन नहीं है। अतः प्रकरण का विधि के दृष्टिकोण से सम्यक परीक्षण करने के उपरान्त हम पाते है कि मामले में सरपंच ग्राम पंचायत चित्तौड़ा द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 364 दिनांक 11-01-1970 विधि के प्रावधानों के विपरीत स्वीकृत किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है।</p> <p>उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/823/2002/जयपुर सरकार बनाम सुमेरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>खसरा संख्या 1536 रकबा 41 बीघा 14 बिस्वा भूमि के संबंध में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 364 दिनांक 11-01-1970 को खारिज किया जाकर उक्त विवादित आराजी को पुनः राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज किए जाने की आज्ञा पारित की जाती है।</p> <p>निर्णय की सूचना योग्य राजकीय अधिवक्ता को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे।</p> <p style="text-align: center;">(विनीता श्रीवास्तव) सदस्य</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/823/2002/जयपुर सरकार बनाम सुमेरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

